न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

वासगीत अपील वाद संख्या– 189/2010–11

सुधीर कुमार सिंह वनाम कारी कामत वगैरह

–:: आदेश ::–

प्रस्तुत अपील अपीलार्थी सुधीर कुमार सिंह द्वारा वासगीत पर्चा वाद संख्या– 4/2001–02 में दिनांक– 17.05.2010 को अंचलाधिकारी , सहरसा द्वारा कारी कामत एवं नौ अन्य के नाम निर्गत वासगीत पर्चा के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

अपीलार्थी का कहना है कि कारी कामत एवं अन्य ने अंचलाधिकारी के समक्ष वासगीत पर्चा के लिए आवेदन किया। अंचल निरीक्षक को दिनांक– 10.04.2010 तक प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया एवं वाद में सत्य नारायण सिंह को नोटिस निर्गत कर अभिलेख दिनांक– 25.4.2010 को उपस्थापित करने हेतु आदेशित किया गया। दिनांक– 25.04.2010 के आदेश में कहा गया कि भू–स्वामी को नोटिस का तामिला करा दियागया है और दिनांक– 17.05.2010 को आदेश पारित कर दिया गया। पारित आदेश में अपीलार्थी का जमीन खाता नं0– 317 रकवा– 1 कट्ठा 4 धूर कारी कामत, खेसरा संख्या– 317 रकवा– 1 कट्ठा 16 धूर विपीन, नंवीन सभी पिता– स्व० बैद्यनाथ कामत के नाम अपीलार्थी को बिना किसी सूचना के उनके पीठ पीछे पर्चा निर्गत कर दिया गया। अभिलेख से बिल्कुल स्पष्ट है कि दिनांक– 06.04.2010 को पारित आदेश में भू–स्वामी के रूप में सत्य नारायण सिंह, पिता– चन्द्र प्रताप सिंह, साकिन– रहुआमणि दिखलाया गया है, जबकि उस नाम का उस गॉव में कोई व्यक्ति नहीं है। विवादित खेसरा नं0– 317 की जमीन अपीलार्थी की पैतृक जमीन है और यह वकास्त मालिकान पुराना खाता– 339 में शीतल प्रसाद सिंह, पिता– गिरिवर सिंह जमीन्दार का था। आपसी बॅटवारा में खेसरा– 317 रकवा 6 कट्ठा साढे 3 धूर शीतल प्रसाद सिंह के हिस्से में आया। शीतल प्रसाद सिंह की विधवा की मृत्यु हो गई। इनकी एक मात्र पुत्री सुभद्रा देवी बच गई। बी०एल०आर० एक्ट की धारा के अन्तर्गत सुभद्रा देवी के नाम रिटर्न दाखिल किया गया एवं तदनुसार उनके नाम से जमाबंदी कायम हुआ और लगान अदा कर रेन्ट रसीद प्राप्त करती रही है। वर्ष 1963–64 में रीभीजनल सर्वे में भी खाता 623, 625 एवं अन्य को मिलाकर नया रकवा 623 एवं 625 सुभद्रा देवी के नाम बना। सुभद्रा देवी के निधन के उपरान्त अपीलार्थी के दखल–कब्जा में उक्त जमीन चला आ रहा है। वर्ष 2004 में प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष कारी कामत के द्वारा विवाद उत्पन्न करने पर अपीलार्थी ने सबजज, सहरसा के न्यायालय में टायटलसूट नं0– 78/05 दाखिल किया है, जो न्यायालय के विचाराधीन है। प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष द्वारा जालसाजी के आधार पर भू–स्वामी का गलत नाम देकर बिना तारीख का आवेदन दाखिल कर वर्ष 2010 में अपीलार्थी के पीठ–पीछे पर्चा प्राप्त कर लिया, जिसकी अफवाह के बाद अपीलार्थी आदेश का नकल प्राप्त कर अपील दाखिल किया है। अपीलार्थी ने यह खेसरा 317 रकवा 6 कट्ठा साढे 3 धूर जमीन का जमाबंदी 510/1377 जो अपीलार्थी के नाम चल रहा है

को नजर अंदाज कर जल्दबाजी में सत्य नारायण सिंह, पिता– चन्द्र प्रताप सिंह को भू–स्वामी दिखलाकर नोटिस निर्गत कर दिया तथा बिना न्यायिक विवेक के आदेश पारित कर दिया है। अन्ततः अपीलार्थी ने प्रतिपक्षियों के नाम अंचलाधिकारी, सहरसा द्वारा निर्गत वासगीत पर्चा को निरस्त करने की याचना की है।

प्रतिपक्षियों का कहना है कि प्रतिपक्षियों को आवंटित भूमि से अपीलार्थी का कोई सरोकार नहीं रहने के कारण प्रस्तुत वाद ग्रहण या विचारण योग्य नहीं है। अंचलाधिकारी, सहरसा द्वारा निर्गत वासगीत पर्चा में उल्लिखित भू–स्वामी सत्य नारायण सिंह ही उक्त विवादित भूमि के भू–स्वामी थे और इस तरह अपीलार्थी को अपील दाखिल करने का कोई हक नहीं है। अपील पूर्णतया कालवाधित हैं। आदेश के वर्षों व्यतीत हो जाने पर यह अपील दाखिल किया गया है, जो लिमिटेशन एक्ट के प्रावधान के अनुकूल नहीं है। प्रतिपक्षियों को लिमिटेशन के बिन्दु पर नहीं सुना गया। पुराना खाता– 339 बाबू रघुनाथ सिंह के नाम से था और उनका ही कब्जा था। उनके निधन पर उनके उत्तराधिकारियों को शान्तिपूर्ण दखल–कब्जा चला आ रहा था। रिकार्डेड रैयत के परपितामह शारीरिक श्रम के बदले यह जमीन प्रतिपक्षियों को दिया था, जिस पर घर बनाकर प्रतिपक्षी बिना किसी झंझट के रहते आ रहे हैं। वर्ष 2001–02 में प्रतिपक्षियों ने अंचलाधिकारी के समक्ष आवेदन दिया, जिसकी हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक द्वारा विधिवत जॉच कर वासगीत वाद संख्या– 4/2001–02 में प्रतिपक्षियों के नाम पर्चा निर्गत किया गया है। पर्चा प्राप्त करने के बाद जमाबंदी नं0– 1409 के तहत कारी कामत के नाम 1 कट्ठा 11 धूर, जमाबंदी 988 के तहत विपीन कामत एवं नवीन कामत के नाम 1 कट्ठा 16 धूर जमीन दर्ज किया गया है। अग्रतर प्रतिपक्षियों ने रिकार्डेड रैयत बाबू रघुनाथ सिंह का वंशावली भी दिया है। इससे पूर्व इस जमीन से संबंधित विवाद को लेकर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में भू–विवाद 135/12 एवं 201/11 दाखिल किया गया था, जो खारीज हो चुका है। पुनः अपीलार्थी द्वारा टायटल सूट 78/05 दाखिल किया गया है, जो विचाराधीन है। प्रतिपक्षी कमजोर वर्ग से आते हैं फलतः अपीलार्थी द्वारा इन्हें अनावश्यक परेशान किया जाता है। इस तरह अपीलार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों से इन्कार करते हुए प्रतिपक्षी ने अपील वाद को खर्चा सहित खारीज करने का निवेदन किया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अपीलार्थी एवं प्रतिपक्षी ने उपरोक्त दावे को दुहराया।

राज्य की ओर से सरकारी वकील ने कहा कि लिमिटेशन एक्ट की धारा– 120 के तहत 3 वर्ष का समय स्वीकार योग्य है।

अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस वाद के प्रतिपक्षियों कारी कामत पे0– नेवी कामत को खेसरा पुराना– 318, 319, 317 में कुल रकवा– 01 कठा 11 धुर वो विपीन वो नवीन

कामत पे0– बैजनाथ कामत को खाता पुराना– 319 खेसरा पुराना– 317 रकवा– 01 कठा 16 धुर जमीन वासगीत पर्चा वाद संख्या– 04/2001–02 अंचलाधिकारी, सत्तरकटैया के द्वारा निर्गत करने की स्वीकृति दी गयी एवं फार्म– G में पर्चा निर्गत किया गया। अभिलेख में संलग्न अंचल अमीन, राजस्व कर्मचारी तथा अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि पर्चावाली भूमि पर प्रतिपक्षीगण 25–30 वर्षों से धर मकान बनाकर रह रहे है तथा उक्त प्रतिवेदन के आधार पर अंचलाधिकारी द्वारा भूधारी– श्री चन्द्र प्रताप सिंह, पिता– सत्यनारायण सिंह, साकिन– रहुआमणि, सहरसा को सूचना निर्गत किया गया। सूचना तामिला हो जाने वो किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर अंचालधिकारी द्वारा दिनांक– 07.05.2010 को प्रतिपक्षियों के पक्ष में वासगीत पर्चा निर्गत करने की स्वीकृति दी गयी। परन्तु निम्न न्यायालय के अभिलेख से यह स्पष्ट नहीं होता है कि भूधारी एवं पर्चाधारी के बीच संबंध किस व्यवस्था (arrangement) के तहत थी, तथा पर्चाधारी प्रश्रय प्राप्त रैयत है अथवा नहीं। साथ ही अंचल निरीक्षक द्वारा जाँच के दौरान फार्म 'F' में सभी पक्षकारों को सूचना निर्गत कर साक्ष्य लेने के संबंध में कोई प्रमाण अभिलेख में संलग्न नहीं है।

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अभिलेख को रिमाण्ड करते हुए निम्न न्यायालय को निर्देश दिया जाता है Bihar Privileged Persons Homestead Tenancy Act, 1947 की धारा– 2 एवं Rules 1948 के नियम– 5 के आलोक में उभय पक्षों को सुनकर विधि संगत आदेश पारित करें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

समाहर्त्ता
सहरसा।

31.7.2015
समाहर्त्ता
सहरसा।

ज्ञापांक 1926-2 / जिला विधि, सहरसा, दिनांक– 31 जुलाई, 2015 ई. ।

प्रतिलिपि– अंचलाधिकरी, कहरा, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिले के बेवसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

31.7.15
प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
31.7.15